# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :— 75/2016 निर्णय दिनांक :— 12.1.21

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जयपुर।

——वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाल लाल जाति मीणा निवासी विजयपुरा तहसील जयपुर
2. जगदीश पुत्र स्व . श्री छोटूराम मीणा निवासी सुमेल तहसील जयपुर
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी श्योपुर तहसील सांगानेर जयपुर।

——अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956**

प्रार्थना पत्र पेराकोर सरकार तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि तहसील कोटखावदा पटवार मण्डल बड़ोदिया के ग्राम कंवरपुरा के आ.ख.न 214 रकबा 0.63 है0 किरम बारानी भूमि श्री जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाल लाल जाति मीणा निवासी विजयपुरा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

तहसील जयपुर जगदीश पुत्र स्व . श्री छोटूराम मीणा निवासी सुमेल तहसील जयपुर हिस्सा बराबर हिस्सा 51/63 चन्द्र प्रकाश पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी श्योपुर तहसील सागानेर जयपुर हिस्सा 12/63 हिस्सा सम्पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है । जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 तक संलग्न है । कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बड़ोदिया अप्रार्थीगण द्वारा ख.न 214 रकबा 0.63 है0 किस्म बारानी 3 जो कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियत 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सपरिवर्तन कराये उक्त ख.न 214 रकबा 0.63 है0 कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काशकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। ख.न 214 रकबा 0.63 है0 का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 117 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राजरू सरकार को अपूर्णिनिय क्षति होगी जिसमें पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम कंवरपुरा के ख न . 214 रकबा 0.63 है0 में से किस्म बारानी 3 में से 0.63 है0 अर्थात 6300 वर्ग मीटर की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

ख.न 214 रकबा 0.63 है0 सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तरफ से वकील उपस्थित हुये एवं प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि जवाब के साथ जवाब के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र जगदीश पुत्र छोटूराम का व चा.न 1132 दिनांक 31.03.2017 का एक लाख रूपये का चालान बतौर सबुत पेश किया।

प्रार्थना पत्र का मद नं . 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं . 02 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं . 03 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया। अकृषि कार्य करने की प्लानिंग जरूर की गई थी लेकिन तत्कालिन समय में ही अप्रार्थी के खिलाफ माईनिंग कार्यवाही हो जाने से अप्रार्थी ने संबंधित डिपार्टमेन्ट में एक लाख रूपये जमा करवाये है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई गैर कृषि कार्य उक्त आराजी पर नहीं किया जा रहा है तथा किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी ने कारित नहीं किया है। अप्रार्थी की आराजी पर उक्त प्रकरण का स्थगन नोट है जिससे अप्रार्थी अपनी आराजी का कोई किसी प्रकार का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा ना ही कोई कृषि कार्य उक्त आराजी को विकसित कर किया जा सक रहा है। उक्त स्थगन तथा कार्यवाही वजह से अप्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर सिंचाई का साधन भी नहीं लगा पा रहा है जिससे अप्रार्थी के वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण के विपरित है। तत्कालिन पटवारी ने दुंभावना से

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

राजनैतिक द्वेशता वश उक्त प्रकरण अप्रार्थी के खिलाफ बिना जांच पड़ताल किये बिना किसी सक्षम साक्ष्य के पेश किया है जबकि पत्रावली पर कोई सक्षम साक्ष्य नहीं है। इसलिये प्रकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। मौके पर कोई किसी प्रकार का गैर कृषि कृत्य नहीं हो रहा है। प्रार्थना के मद नं . 05 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं . 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। राज्य सरकार को कोई किसी प्रकार की हानि अप्रार्थी ने कारित नहीं की है। अप्रार्थी बिना भू-परिवर्तन कोई गैर कृषि कार्य नहीं करेगा। अप्रार्थी रिर्कोडेड कबिज खातेदार है उसको उसके वैधानिक अधिकारी से वंचित करने के लिये उक्त प्रकरण बिना किसी सक्षम साक्ष्य के पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो खारिज फरमाने की कृपा करे जो न्यायहित में न्यायोचित है।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध बिना जॉच रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्यवाही की गयी है, उक्त प्रकरण में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नही है, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का आधार हो, परन्तु प्रकरण में धारा 177 आरए एक्ट की कार्यवाही करने का आधार पत्रावली मे मौजूद नही है। इस कारण प्रकरण की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावें। जवाब के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र जगदीश पुत्र छोटुराम व चा.न 1132 दिनांक 31.03.17 राशि एक लाख रूपये की चालान प्रति बतौर सबुत पेश की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थी की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी

जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी ने उक्त आराजी पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नही किया। अकृषि कार्य करने की प्लानिग जरूर की गयी थी। लेकिन तत्कालीन समय में अप्रार्थी के खिलाफ माईनिग कार्यवाही हो जाने से अप्रार्थी ने सबंधित डिपाटमेन्ट में एक लाख रूपया जमा करवाये है। वर्तमान में किसी प्रकार का कोई गैर कृषि कार्य उक्त आराजी पर नही किया। राजनैतिक द्वेषता वंश अन्य प्रकरण अप्रार्थी के खिलाफ बिना जॉच पडताल किये बिना सक्षम साक्ष्य के पशे किया है जिसे खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील अप्रार्थी पर गोर किया एवं प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं चालान प्रति का परीक्षण किया गया तो अप्रार्थीगण द्वार उक्त आराजी मे किसी भी प्रकार से जवाब प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य शपथ के अनुसार अकृषि कार्य नही किया अप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य करने की प्लानिग जरूर की गयी थी लेकिन अप्रार्थीगण के खिलाफ माईनिग कार्यवाही हो जाने से अप्रार्थी ने संबधित डिपाटमेन्ट में एक लाख रूपये चा.न 1132 दिनांक 31.03.17 के द्वारा जमा करवाये गये है। साक्ष्य शपथ के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। जो खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग का खातेदार को अधिकार है मौके पर वादग्रस्त भूमि को अकृषि कार्य में नही लिया जा रहा। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उलधंन हुआ है एवं न ही अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है, अकृषि कार्य करने की अप्रार्थीगण द्वारा प्लानिग की गयी थी जो माईनिग डिपार्टमेन्ट द्वारा कार्यवाही किये जाने से एवं जुर्माना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

राशि के एक लाख रूपये लगा दिये जाने से उक्त भूमि को अकृषि कार्य नही किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा काश्तकार द्वारा किसी प्रकार हानिप्रद कार्य नही किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उलंघन नही हाने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 177 का खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि तहसीलदार पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थना पत्र का पूर्ण रूपेण साबितकरने में असफल रहने के कारण किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी का 177 का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)